कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, सीतापुर

अतिअल्पकालीन निविदा सूचना सं0–02/अधि0अभि0/2017–18
ई–टेंडरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो की निविदा

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन http://etender.up.nic.in के माध्यम से निविदा, सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांकः–21.09,.2017 को अपरान्ह–12.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं, जो दिनांकः–22.09.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे गठित समिति के समक्ष ऑनलाईन खोली जायेंगी। निविदा दिनॉक–15.09.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे से दिनॉक–21.09.2017 को अपरान्ह 12.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेंगी।

क्र0 सं0	लाट सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर राशि (लाख रू0में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य+जी0एस0टी0 (रू0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01	Strengthening of counter berm between Km. 81.500 to Km 81.700 R/B of R.F.C.	1.98	0.20	07 दिवस	660.00	डी एवं उच्च
2.	02	Repairing of parapet wall and wing wallof V.R.B. at Km 74.200 , Km 77.800 and Km 81.300 of S.S.F.C.	1.18	0.12	07 दिवस	660.00	तदैव
3	03	Repairing of parapet wall and wing wall of V.R.B. at Km 82.895 , Km 86.700 and Km 87.810 of S.S.F.C.	1.83	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव
4.	04	Repairing of parapet wall of V.R.B at km 91.080 , Km. 94.400 and Km 98.700 of S.S.F.C.	1.45	0.15	07 दिवस	660.00	तदैव
5.	05	Construction of east (front) side boundry wall at Sahjani canal colony Mahmudabad	1.00	0.10	07 दिवस	660.00	तदैव
6.	06	Restoration of daula between Km 98.700 to Km 101.000 on left bank of LFC	1.60	0.16	07 दिवस	660.00	तदैव
7.	07	E/w in strengthining toe of canal for protection of boiling and seepage from Km 46.550 to Km 46.850 on left bank of LFC	1.99	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव
8.	08	Repairing of parapet and wing wall of V.R.B.at Km . 50.000 , Km 52.050 and Km 56.350 and Lasker pur Syphon at km 56.050 of S.S.F.C.	2.00	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव
9	09	Earth work in strengthening & widening of counter bank & placing E.C bag at Counter Bank toe between km70 .200 to Km 70.260 on R/B of Right feeder channel	1.98	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव
10.	010	Earth work in filling of Service Road depression and undulation to make it geepable from Km 63.700 to Km 65.700 L/B of L.F.C.	1.96	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव

11.	011	Earth work in Strengthening of counter bank with laying filter for protection of boiling and seepage from Km 31.000 to Km 31.050 right bank of right feeder channel.	2.00	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव
12.	012	Renovation of Residence B-1 in Canal Colony, Sitapur	2.00	0.20	07 दिवस	660.00	तदैव

1– यह निविदा/बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट http://etender.up.nic.in सूचना विभाग की वेबसाइट http://information.up.nic.in तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://irrigation.up.in पर उपलब्ध है।

2– यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1),GST Registation प्रमाण–पत्र , हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2), स्वघोषणा प्रमाण–पत्र (IDT-3) एवं समस्त अभिलेखों की स्कैन्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। टेक्निकल बिड खोलने के उपरान्त अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सत्यापन हेतु कार्यालय में जमा करनी होगी। वेबसाइट पर ड्राइंग उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सीतापुर से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।

3– उक्त कार्यों का सम्पादन विभागीय विशिष्टियों तथा नवीनतम शासनादेश संख्या–99/2017/836/17–27–सिं0–4–46(डब्ल्यू)/12,दिनॉक– 12.05.2017 के अनुरूप किया गया है।

4– **कार्य तत्कालिक प्रवृत्ति के हैं तथा निर्धारित अवधि में पूर्ण कराये जाने अनिवार्य हैं।** विलम्ब होने अथवा राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न होने की दशा में पेनाल्टी/बीजक से कटौती तथा पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

5– निविदादाता को टेंडर सेल धनराशि जी0एस0टी0 सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सीतापुर के नाम/पक्ष में बन्धक तथा सीतापुर में देय होगा, जिसकी Scanned Copy अपलोड करनी होगी, अन्यथा इनकी निविदा/बिड को Non-responsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6– धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सीतापुर के नाम/पक्ष में बन्धक तथा सीतापुर में देय होना अनिवार्य है, जिसकी Scanned Copy आनलाईन अपलोड करना होगा।

7– प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड के साथ रू0 100/– जुडीशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी Scanned Copy आनलाईन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। नियमानुसार देय जी0एस0टी0, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबन्ध के समय **नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी** जमा करनी होगी।

8– कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

9– निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्य स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

10– निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

11– इस निविदा को निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

12– यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो, तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबंध हो भी गया है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है।

13– कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें।

14– राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे।

15– यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबंध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असमयक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

16– विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाईन उपलब्ध करा दी जायेगी।

17– प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी है या नहीं। इसमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।

18– अनुबंध गठित होने के पश्चात् भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

19– अन्य शर्तें एवं कार्य स्थल का विवरण निविदा प्रपत्र में संलग्न हैं।

20– शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक–08.06.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक दर कम देने पर 0.5 प्रति 1 प्रतिशत कमी पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1 प्रतिशत कमी पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त **परफारमेंस गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि** देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी। अन्यथा निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

21– निविदादाता की ज्वाइण्ट वैन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

22– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

23– एक निविदादाता एक कार्य की केवल एक ही निविदा क्रय कर सकेगा व डाल सकेगा।

24– नियमानुसार लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बीजक से की जायेगी।

25– शासनादेश संख्या–383/36–2–2010 श्रम अनुभाग–2, दिनॉक–26.02.2010 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली–2009 के अन्तर्गत ठेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।

26– प्रत्येक निविदादाता को निम्नलिखित अभिलेख की मूल प्रति दिनॉक–21.09.2017 तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,, सीतापुर में अपरान्ह 03.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा :–

(क)– वैध पंजीयन की मूल प्रति।

(ख)– समान या उच्च लागत के कार्यों का एकल अनुबंध, जोकि अनुबंध में निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया गया हो, का मूल अनुभव प्रमाण–पत्र।

(ग)– IDT-1, IDT-2, IDT-3 प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति।

(घ)– निविदा मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।

(ङ)– धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप में।

(च)– स्वघोषणा–पत्र मूल रूप में।

(छ)– GST Registation प्रमाण–पत्र

27– अनुबन्ध सक्षम अधिकारी द्वारा गठित किये जायेंगे।

28– लाट संख्या–12 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य का अनुबन्ध धनावंटन प्राप्त होने के उपरान्त गठित किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड
सीतापुर